



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, मार्च 10—मार्च 16, 2013, शनिवार/फाल्गुन 19—फाल्गुन 25, 1934
No. 7] NEW DELHI, MARCH 10—MARCH 16, 2013, SATURDAY/PHALGUNA 19—PHALGUNA 25, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

का.नि.आ. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना समूह 'क' और 'ख', नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भण्डार अधिकारी पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह 'क' और 'ख', नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भण्डार अधिकारी पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना समूह 'क' और 'ख' नौसेना (सिविलियन राजपत्रित भण्डार अधिकारी पद) भर्ती नियम 2002 की अनुसूची में, ज्येष्ठ निदेशक, निदेशक, ज्येष्ठ नौसेना भण्डार अधिकारी, नौसेना भण्डार अधिकारी के पदों के सामने आने वाले स्तंभ (5) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "चयन" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. सीपी (जी)/1465/भण्डार/262/आर.आर./डी (नियुक्ति)]

के. के. दैमारी, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 47 तारीख 5 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2013

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक अनुभाग अधिकारी भर्ती नियम, 2008 और तटरक्षक सहायक भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी और सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक अनुभाग अधिकारी और सहायक समूह “ख” पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुभाग अधिकारी	62* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

90% प्रोन्नति द्वारा और
10% प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से स्थापना नियम में और व्यवहार कौशल में एक सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में तीन वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की

(11)

सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
2. उप सचिव/निदेशक (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य
4. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक	89* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई हो

(7)

आवश्यक :

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित

(8)

लागू नहीं होता

(9)

सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)

- (i) 75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
- (ii) 25% कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

तटरक्षक समेठन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से टिप्पण एवं आलेखन पर कार्यशाला में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1 : इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के पोषक प्रवर्ग पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा पांच वर्ष की जारी रहेगी।

(11)

टिप्पण 2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

(13)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. उपमहानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |
| 3. निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय | —सदस्य |
| 4. अवर सचिव (त.र.), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य |

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. सीपी/0601/एसओ/सहायक/273/डी(सीजी-आर)/2013]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2013

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Section Officer Recruitment Rules, 2008 and Coast Guard Assistant Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Section Officer and Assistant in the Coast Guard Organization, the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Section Officer and Assistant Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The number of the posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. Method of Recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection posts	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Section Officer	62* (2013) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800+ Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(10)	(11)	
90% by promotion and 10% by deputation	<p>Promotion :</p> <p>Assistants in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200. with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed one week training in Establishment Rules from Institute of Secretariat Training and Management and one week training in Behavioural Skills from Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers under the Central Government :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/department; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4200 in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) possessing three years experience in administration, establishment and accounts matters.</p> <p>Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this</p>	

(11)

appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Joint Secretary (Navy), Ministry of Defence —Chairman
2. Deputy Secretary/Director (Navy), Ministry of Defence —Member
3. Director (Administration), Coast Guard Headquarters —Member
4. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant	89* (2013) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800+ Grade Pay Rs. 4200	Selection	As notified by the Government from time to time for the Combined Graduate Level Examination conducted by Staff Selection Commission. Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)

(8)

(9)

Essential :

As notified by the Government from time to time for the Combined Graduate Level Examination conducted by Staff Selection Commission.

Not applicable

Two years for direct recruits and promotees.

(10)

- (i) 75% by promotion failing which by deputation.
- (ii) 25% by direct recruitment on the basis of the Combined Graduate Level Examination conducted by Staff Selection Commission.

(11)

Promotion :

Upper Division Clerk of Coast Guard Organisation in Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis who have successfully completed three days training in workshop on Noting and Drafting from Institute of Secretariat Training and Management.

Note 1 : The eligibility service for promotion to the post of Assistant shall continue to be five years for persons holding the feeder post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation :

Officers under the Central Government :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/department; or
- (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 2800 in the parent cadre or department; and
- (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay Rs. 2400 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing Degree from any recognized University.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)

Note 3 : For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Chairman
2. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters —Member
3. Director (Administration), Coast Guard Headquarters —Member
4. Under Secretary (CG), Ministry of Defence —Member

[F. No. CP/0601/SO/Assistant/273/D(CG-R)/2013]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.